



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 23, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

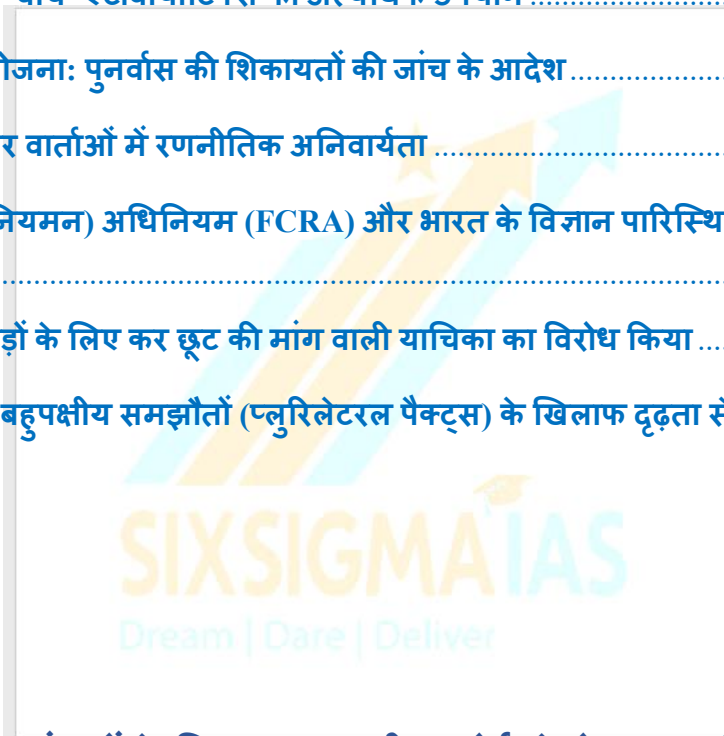


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. शिंदे गुट के साथ 6 सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया	2
2. आरबीआई की एफसीएनआर (बी) स्वैप सुविधा और विदेशी मुद्रा जुटान	4
3. वायु सेना प्रमुख ने भविष्य के युद्धों में संयुक्तता (जॉइंटनेस) और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर दिया जोर	5
4. भारत के फार्मा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में अमेरिका की भूमिका	7
5. समष्टि आर्थिक और मुद्रा लचीलेपन के बीच भारत इमर्जिंग मार्केट्स ट्रेकर में सबसे आगे	8
6. क्वाड विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई	10
7. भारत में ब्रॉड-स्पेक्ट्रम 'वॉच' एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग	12
8. केन-बेतवा लिंक परियोजना: पुनर्वास की शिकायतों की जांच के आदेश	13
9. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं में रणनीतिक अनिवार्यता	15
10. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) और भारत के विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव	17
11. केंद्र ने समलैंगिक जोड़ों के लिए कर छूट की मांग वाली याचिका का विरोध किया	18
12. भारत डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय समझौतों (प्लुरिलैटरल पैक्ट्स) के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है	20



1. शिंदे गुट के साथ 6 सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया

प्रमुख अंश और सारांश

- **अंतरिम राहत से इनकार:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में विलय को मान्यता देने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
- **पीठ का गठन:** न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और दो सप्ताह बाद इस कानूनी चुनौती की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की।
- **नोटिस जारी:** शीर्ष अदालत ने मान्यता संबंधी परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से जवाब मांगा।

- **याचिकाकर्ता का तर्क:** शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत ने यह याचिका दायर की, जिसमें लोकसभा सचिवालय द्वारा 18 जुलाई को जारी परिपत्र को "प्रथम दृष्टया असंवैधानिक, अवैध और विकृत" करार दिया गया।
- **पीठासीन अधिकारी की भूमिका:** यह मामला दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत अध्यक्ष द्वारा लिए गए संसदीय निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की सीमा को लेकर जारी कानूनी बहसों को रेखांकित करता है।
- **व्यापक प्रभाव:** इसका परिणाम विधायी निकायों के भीतर दलों के विभाजन, विलय और गुटों की मान्यता की प्रक्रियात्मक वैधता को और अधिक स्पष्ट करेगा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून):** विधायकों के दलबदल को रोकने और उनकी अयोग्यता के नियम तय करने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से शामिल की गई।
- **विलय का प्रावधान:** दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत एक सुरक्षा कवच, जिसके अनुसार यदि किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करने पर सहमत होते हैं, तो अयोग्यता का नियम लागू नहीं होता है।
- **एक्स फेसी (प्रथम दृष्टया):** एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है "सतही तौर पर" या बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के केवल प्राथमिक निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट रूप से सत्य या गैर-कानूनी होना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 102(2):** दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है।
- **दसवीं अनुसूची (पैरा 4):** राजनीतिक दलों के विलय के मामलों में अयोग्यता के अपवादों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसके लिए निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **न्यायिक समीक्षा (किहोटो होलोहन मामला, 1992):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष का निर्णय एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के रूप में कार्य करता है और दुर्भावनापूर्ण इरादे, विकृति या संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन जैसे आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि, अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने से पहले न्यायिक हस्तक्षेप सामान्यतः सीमित होता है।

निष्कर्ष

तत्काल अंतरिम रोक दिए बिना इस मामले पर सुनवाई करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विधायी कार्यवाही को बनाए रखने और न्यायिक निगरानी का प्रयोग करने के बीच संतुलन बनाता है। यह मामला अध्यक्ष की शक्तियों और पार्टी के आंतरिक विभाजन तथा विलय के मामलों में दलबदल विरोधी छूट के कार्यान्वयन के संबंध में विकसित हो रहे न्यायशास्त्र को उजागर करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन एवं राजव्यवस्था):** संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियां व विशेषाधिकार, और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

- **प्रमुख विषय:** दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून), अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां, विधायी कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का पृथक्करण, और राजनीतिक दलों का विलय।

2. आरबीआई की एफसीएनआर (बी) स्वैप सुविधा और विदेशी मुद्रा जुटान

प्रमुख अंश और सारांश

- **जुटान अभियान:** भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [FCNR (B)] जमाओं के लिए 5 जून को एक विशेष अभियान शुरू किए जाने के बाद से भारतीय बैंकों ने 17 अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है।
- **रियायती स्वैप सुविधा:** आरबीआई ने बैंकों को ताज़ा या नवीनीकृत एफसीएनआर (बी) जमा (3 से 5 वर्ष की परिपक्वता) जुटाने और केंद्रीय बैंक के साथ रियायती दरों पर उन डॉलर की अदला-बदली (स्वैप) करने की अनुमति दी, जिससे हेजिंग लागत को अवशोषित करके बैंक उच्च ब्याज दरों की पेशकश कर सकें।
- **आवक का अनुमान:** बाजार की उम्मीदों के अनुसार 30 सितंबर की समय सीमा से पहले कुल संग्रह 45 अरब डॉलर से 55 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है, जो 2013 के 'टेपर टैट्रम' के दौरान जुटाए गए 26 अरब डॉलर के आंकड़े को पीछे छोड़ सकता है।
- **लीवरेज रणनीति:** धनी अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कम दरों पर विदेशों से उधार लेकर और अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए उच्च उपज वाली एफसीएनआर (बी) जमाओं में निवेश करके अपनी पूंजी को 9 से 19 गुना तक बढ़ा लेते हैं (लीवरेज प्राप्त करते हैं)।
- **प्रमुख चुनौतियां:** मुख्य बाधाओं में उच्च-लीवरेज वाले लेनदेन को निष्पादित करना, विदेश में उधार लेने की ऊंची लागत, सख्त क्रेडिट सीमाएं, और अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे क्षेत्रों में कर अनुपालन संबंधी चिंताएं शामिल हैं।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टि आर्थिक) चालक:** आरबीआई ने भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) को मजबूत करने, वैश्विक अनिश्चितता को अवशोषित करने और रुपये के मूल्यहास का मुकाबला करने के लिए यह उपाय पेश किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2027 में 3% से अधिक और वित्तीय वर्ष 2026 में 11% की गिरावट आई थी।

RBI'S PLAN OF ACTION	
➤ FCNR(B) deposits of three to five years to be exempt from cash reserve ratio and statutory liquidity ratio, lowering cost of mobilising such funds for banks ➤ For external commercial borrowings, RBI has set a swap cost of 1.5% a year, making overseas loans attractive for	- top-rated PSUs compared with domestic funding ➤ FCNR(B) swap window will remain open until Oct 16, 2026, for deposits mobilised up to Sept 30 ➤ The ECB and OFCB swap facility will run until Jan 15, 2027, for drawdowns up to Dec 31, 2026

आवश्यक परिभाषाएं

- **एफसीएनआर (बी) खाता:** एक सावधि जमा खाता जो एनआरआई को विदेशी मुद्रा में भारत में सावधि जमा रखने में सक्षम बनाता है। यह मूलधन और ब्याज को विनिमय-दर के जोखिमों से बचाता है, जबकि पूरी तरह से कर-मुक्त और स्वदेश भेजने योग्य (रिपेट्रिएबल) रहता है।
- **फॉरेक्स स्वैप (विदेशी मुद्रा स्वैप):** एक वित्तीय लेनदेन जहां दो पक्ष विदेशी विनिमय दर के जोखिमों से बचाव (हेज) करने या कम उधार लागत सुरक्षित करने के लिए विभिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज का आदान-प्रदान करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934:** केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने, ऋण को नियंत्रित करने और भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने का अधिकार देता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999:** बाहरी व्यापार को सुगम बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को बनाए रखने के लिए बाहरी व्यापार, सीमा पार भुगतान और विदेशी मुद्रा खातों (जैसे एफसीएनआर) को नियंत्रित करता है।
- **आयकर अधिनियम, 1961:** धारा 10(4)(x) के तहत गैर-निवासियों द्वारा एफसीएनआर (बी) जमा पर अर्जित ब्याज पर कर छूट की स्थिति प्रदान करता है।

निष्कर्ष

आरबीआई की रियायती स्वैप सुविधा अस्थिर वैश्विक बाजारों और घरेलू मुद्रा के दबाव के बीच गैर-ऋण विदेशी मुद्रा आवक को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण उपकरण के रूप में कार्य करती है। यद्यपि छोटे निवेशकों के लिए परिचालन और ऋण संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं, यह योजना अपनी सितंबर की समय सीमा से पहले विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता दोनों को मजबूत करते हुए भारत के बाहरी क्षेत्र के बफर को बढ़ाती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित मुद्दे।
- **प्रमुख विषय:** विदेशी मुद्रा भंडार, भुगतान संतुलन (BoP), बाहरी क्षेत्र, आरबीआई के मौद्रिक नीति उपकरण, विनिमय दर प्रबंधन, और फेमा (FEMA) नियम।

3. वायु सेना प्रमुख ने भविष्य के युद्धों में संयुक्तता (जॉइंटनेस) और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

प्रमुख अंश और सारांश

- **संयुक्तता की अनिवार्यता:** एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कारवार में इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के संघर्षों को अलग-अलग सैन्य सेवाओं द्वारा अलग-अलग दायरों में नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि इसके लिए थल सेना, नौसेना और वायु सेना में एकीकृत और एकजुट राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है।
- **आईएनएस मालवण का कमीशनिंग:** माहे-श्रेणी की एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) श्रृंखला का दूसरा पोत और 16 नियोजित ASW-SWC में से छठवां, 'आईएनएस मालवण', कारवार में भारतीय नौसेना में शामिल (कमीशन) किया गया।
- **स्वदेशी सामग्री:** कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा निर्मित आईएनएस मालवण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जो रक्षा निर्माण में सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है।

- **नवाचार की गति:** वायु सेना प्रमुख ने टिप्पणी की कि "देर से मिली तकनीक तकनीक से वंचित किए जाने के समान है," और उन्होंने तेजी से सैन्य आरएंडडी (R&D) का आह्वान किया ताकि स्वदेशी तकनीकी विकास वैश्विक परिचालन प्रासंगिकता के साथ मेल खा सके।



- **नौसेना से विमानन क्षेत्र का पाठ:** वायु सेना प्रमुख ने डिजाइन से लेकर उत्पादन तक नौसेना पोत निर्माण में अधिकारियों को शामिल करने के भारतीय नौसेना के सफल मॉडल पर प्रकाश डाला और विमानन क्षेत्र से इस दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया।
- **एसएलओसी का रणनीतिक महत्व:** भारतीय समुद्री व्यापार, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संचार की समुद्री रेखाओं (SLOCs) को सुरक्षित करना और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री प्रभुत्व स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **संयुक्तता एवं एकीकरण (जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन):** एकीकृत युद्ध अभियानों को अंजाम देने के लिए सेना की तीनों शाखाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) की परिचालन क्षमताओं, योजना, सिद्धांत और रसद का जानबूझकर एकीकरण।
- **एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC):** तटीय/समुद्री पानी में पानी के भीतर निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, माइन-बिछाने और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों (LIMO) के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष युद्धपोत।
- **समुद्री संचार रेखाएं (SLOCs):** वाणिज्यिक शिपिंग, रसद और नौसैनिक अभियानों के लिए उपयोग किए जाने वाले बंदरगाहों के बीच प्राथमिक समुद्री मार्ग, जो राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 53(2):** संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है।
- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का जनादेश:** सशस्त्र बलों की खरीद, प्रशिक्षण और परिचालन थिएटराइजेशन में संयुक्तता को बढ़ावा देने के लिए सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के तहत सीडीएस पद का सृजन।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020:** आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 'खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम)—स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित उपकरणों को प्राथमिकता देने वाली नीति का ढांचा तैयार करता है।

निष्कर्ष

आईएनएस मालवण को नौसेना में शामिल किया जाना और अंतर-सेवा एकीकरण का आह्वान भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है। तेजी से स्वदेशी तकनीकी आरएंडडी को सभी सेवाओं में निर्बाध संयुक्तता के साथ जोड़ना रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने, महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और हिंद महासागर क्षेत्र में बहु-स्तरीय सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

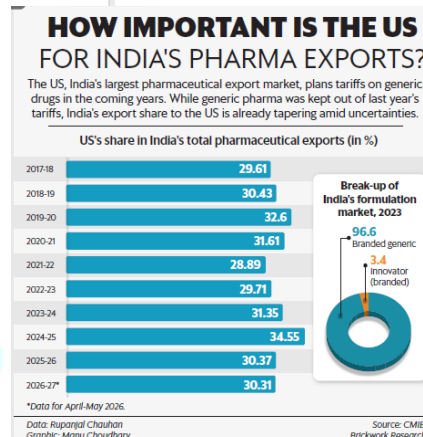
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी):** सीमावर्ती क्षेत्रों/समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और रक्षा में नई तकनीक विकसित करना; विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां तथा उनका जनादेश।
- **प्रमुख विषय:** एकीकृत थिएटर कमांड, सशस्त्र बलों में संयुक्तता, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत, एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमताएं, प्रोजेक्ट सीबर्ड, और हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा।

4. भारत के फार्मा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में अमेरिका की भूमिका

प्रमुख अंश और सारांश

- **प्रमुख निर्यात गंतव्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका दवा (फार्मास्युटिकल) निर्यात के लिए भारत का सबसे बड़ा एकल बाजार बना हुआ है, जो ऐतिहासिक रूप से कुल भारतीय फार्मा निर्यात के लगभग 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- **प्रस्तावित अमेरिकी शुल्क (टैरिफ):** अमेरिकी सरकार की आने वाले वर्षों में आयातित जेनेरिक दवाओं पर शुल्क लगाने की योजना है, जिससे पिछले शुल्क दौरों से जेनेरिक फार्मा को बाहर रखे जाने के बावजूद भारतीय जेनेरिक निर्माताओं के लिए व्यापारिक अनिश्चितताएं पैदा हो रही हैं।
- **घटती हिस्सेदारी:** अमेरिका को भारत के फार्मा निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 में 34.55% के उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, जो वित्त वर्ष 2026 में घटकर 30.37% और अप्रैल-मई वित्त वर्ष 2027 में 30.31% रह गई।
- **ब्रांडेड जेनेरिक का दबदबा:** भारत के फॉर्मूलेशन बाजार के विश्लेषण (2023) के भीतर, 96.6% हिस्सेदारी के साथ ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं का जबरदस्त दबदबा है, जबकि अन्वेषक (ब्रांडेड) दवाओं की हिस्सेदारी केवल 3.4% है।
- **लागत लाभ और संवेदनशीलता:** भारत अमेरिकी जेनेरिक दवा की मांग के 40% से अधिक की आपूर्ति करता है, जिससे अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा की वहनीयता (एफोर्डेबिलिटी) भारतीय आपूर्ति पर निर्भर हो जाती है, फिर भी यह भारतीय निर्यातकों को संरक्षणवादी नीतिगत बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- **विविधता की अनिवार्यता:** नियामक बाधाओं, कड़े अमेरिकी एफडीए (US FDA) अनुपालन मानकों और संभावित शुल्क बाधाओं के कारण लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में बाजार का विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) आवश्यक हो गया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **जेनेरिक दवाएं (Generic Drugs):** खुराक के रूप (डोजेज फॉर्म), सुरक्षा, ताकत, प्रशासन के मार्ग, गुणवत्ता और प्रदर्शन विशेषताओं में पहले से विपणन की गई ब्रांड-नाम वाली दवा के समान बनाई गई दवाएं, लेकिन काफी कम कीमतों पर बेची जाती हैं।

- **सक्रिय औषधीय घटक (APIs):** किसी औषधीय दवा में जैविक रूप से सक्रिय घटक जो इच्छित स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- **फॉर्मूलेशन (Formulations):** किसी फार्मास्युटिकल उत्पाद का अंतिम खुराक रूप (जैसे गोलियां, कैप्सूल, या तरल पदार्थ) जिसमें सक्रिय दवा पदार्थ और निष्क्रिय सामग्री शामिल होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 307:** संसद को भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945:** घरेलू और निर्यात बाजारों में सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
- **विदेशी व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992:** विदेशी व्यापार नीति के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाता है और आयात को विनियमित करता है।
- **ट्रिप्स (TRIPS) समझौता (डब्ल्यूटीओ):** पेटेंट सुरक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य अपवादों (अनिवार्य लाइसेंसिंग) के साथ संतुलित करते हुए, फार्मास्यूटिकल्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

"विश्व की फार्मोसी" के रूप में भारत की स्थिति जेनेरिक निर्माण में इसके प्रतिस्पर्धी लाभ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत निर्यात संबंधों पर अत्यधिक निर्भर करती है। अमेरिका की प्रस्तावित शुल्क नीति में बदलाव और नियामक जांच भारतीय फार्मा फर्मों के लिए एकल निर्यात बाजारों पर निर्भरता कम करते हुए बायोसिमिलर और जटिल फॉर्मूलेशन की ओर मूल्य श्रृंखला में ऊपर उठने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और विज्ञान/प्रौद्योगिकी):** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और व्यापार नीति से संबंधित मुद्दे; बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के मुद्दे; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और फार्मा क्षेत्र का विकास।
- **प्रमुख विषय:** विदेशी व्यापार नीति, अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार संबंध, जेनेरिक दवाएं बनाम अन्वेषक (इनोवेटर) दवाएं, अमेरिकी एफडीए (US FDA) अनुपालन, फार्मा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, और ट्रिप्स (TRIPS) लचीलापन।

5. समष्टि आर्थिक और मुद्रा लचीलेपन के बीच भारत इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैकर में सबसे आगे

प्रमुख अंश और सारांश

- **शीर्ष उभरती बाजार स्थिति:** भारत ने जून के लिए मिनट के इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैकर (EMT) में 82.2 के स्कोर (और 82.3 के ट्रैकर स्कोर) के साथ पहला स्थान बनाए रखा, जिससे चीन (70.2) और वियतनाम (69.8) पर उसकी बढ़त और चौड़ी हो गई।
- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) मजबूती:** भारत ने 7.8% (मार्च तिमाही में साल-दर-साल) की मजबूत वास्तविक जीडीपी वृद्धि, 54.2 का विनिर्माण पीएमआई (PMI), 15.5% (साल-दर-साल) की निर्यात वृद्धि और 9.7 महीने का स्वस्थ आयात कवर दर्ज किया।
- **मुद्रा और वित्तीय क्षेत्र में सुधार:** महीनों की गिरावट के बाद जून में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 0.6% की मासिक बढ़त दर्ज की गई, जबकि घरेलू शेयर बाजार के पूंजीकरण में 1.8% की वृद्धि हुई।
- **आरबीआई स्वैप सुविधा का प्रभाव:** भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की विदेशी मुद्रा अनिवासी [FCNR (B)] जमाओं के लिए रियायती स्वैप सुविधा ने 8 जून से 17 जुलाई के बीच \$20.72 बिलियन जुटाए, जिसमें एफसीएनआर (बी) जमाओं का इस आवक में 84% हिस्सा था।
- **बाहरी क्षेत्र के बफर:** एफपीआई (FPI) आवक और एफसीएनआर (बी) जुटान ने चालू खाता घाटे (CAD) के दबाव को कम किया—जो अब वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी के 1.2-1.7% पर अनुमानित है—जबकि आरबीआई को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा क्षमता (फायरपावर) प्रदान की।
- **अस्थायी बनाम दीर्घकालिक प्रभाव:** अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एफसीएनआर (बी) आवक स्थायी वित्तपोषण स्रोत के बजाय एक तरलता पुल (लिक्विडिटी ब्रिज) के रूप में कार्य करती है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता निरंतर जैविक पूंजी प्रवाह (ऑर्गेनिक कैपिटल फ्लो) पर निर्भर हो जाती है।

INDIA RETAINS EM LEAD IN JUNE AS RUPEE RISES

BY PAYAL BHATTACHARYA

June marked the first meaningful improvement in the rupee in over a year, while stock market capitalization maintained its momentum, helping India widen its lead in Mint's Emerging Markets Tracker.

EMERGING MARKETS TRACKER

Launched in September 2019, Mint's Emerging Markets Tracker provides a summary of economic activity across 12 large emerging markets based on seven high-frequency indicators. The top three positions remained unchanged in June, with India retaining the first place, followed by China and Vietnam in second and third place, respectively.

Better performance

Country	Composite index score, latest	Real GDP growth (y-o-y, in %)	PMI manufacturing	Export growth (y-o-y, in %)	CPI inflation (y-o-y, in %)	Import cover (no. of months)	Exchange rate movement* (m-o-m, in %)	Stock market capitalization* (m-o-m, in %)
INDIA	82.2	7.8	54.2	15.5	4.4	9.7	0.6	1.2
CHINA	70.2	4.3	50.3	26.9	1.0	13.2	0.3	-1.0
VIETNAM	69.8	8.2	51.8	28.5	4.7	2.2	0.1	-2.2
THAILAND	62.7	2.8	53.6	10.6	2.4	7.2	-1.1	2.0
PHILIPPINES	56.2	2.8	50.9	7.6	6.4	8.3	0.4	0.0
MALAYSIA	55.0	5.4	50.7	45.3	1.9	4.1	-2.9	-4.8
MEXICO	53.3	0.1	51.3	25.4	3.4	4.1	-0.4	-2.5
SOUTH AFRICA	49.1	1.9	47.3	14.2	4.5	6.3	0.5	-2.4
BRAZIL	48.9	1.8	50.8	24.9	4.6	15.5	-2.8	-6.8
RUSSIA	48.2	-0.2	50.3	18.6	6.0	18.1	-1.3	-8.7
INDONESIA	31.2	5.6	46.9	-5.7	3.3	6.5	-1.8	-12
TURKEY	28.3	2.5	47.1	21.7	32.1	1.8	-1.7	-1.4

Scoring method: The best performing economy's value on any given indicator gets a score of 100, the worst one gets zero, and the rest are interpolated linearly for their relative scores. Scores for inflation for each country have been assigned based on the magnitude of deviation from the respective central bank target (mid-point in case of ranges). A country's composite index score is the simple average of its seven indicator scores. Latest available data used (as of 22 July 2026). Scores/ranks may change as more data comes in. *Change in monthly average. Exchange rate is against US dollar.

Source: Bloomberg, Mint calculations

mint

आवश्यक परिभाषाएं

- **इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैकर (EMT):** सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन को रैंक करने के लिए जीडीपी वृद्धि, विनिर्माण पीएमआई, निर्यात वृद्धि, सीपीआई मुद्रास्फीति, आयात कवर, विनिमय दर और शेयर बाजार पूंजीकरण सहित उच्च-आवृत्ति संकेतकों का उपयोग करने वाला एक तुलनात्मक ढांचा।
- **आयात कवर (Import Cover):** एक बाहरी क्षेत्र का संकेतक जो आयात के उन महीनों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है।
- **चालू खाता घाटा (CAD):** एक व्यापार संतुलन माप जो यह दर्शाता है कि आयातित वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरणों का कुल मूल्य निर्यात के कुल मूल्य से अधिक है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934:** मूल्य स्थिरता बनाए रखने, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने और विदेशी मुद्रा स्वेप जैसे मुद्रा स्थिरीकरण उपायों को निष्पादित करने के लिए आरबीआई को अधिकार प्रदान करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999:** व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा खातों, सीमा पार पूंजी लेनदेन और एफसीएनआर (बी) जैसी एनआरआई जमा योजनाओं को नियंत्रित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 292:** वैधानिक सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर धन उधार लेने या गारंटी देने की संघ की कार्यकारी शक्ति की रूपरेखा तैयार करता है।

निष्कर्ष

इमर्जिंग मार्केट्स ट्रेकर में भारत का शीर्ष प्रदर्शन मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे और आरबीआई की विदेशी मुद्रा स्वेप सुविधा के माध्यम से समय पर किए गए मौद्रिक हस्तक्षेप को दर्शाता है। हालांकि ये पूंजी प्रवाह महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बफर और मुद्रा स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन वैश्विक समष्टि आर्थिक अस्थिरता से बचाव के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन हेतु निरंतर निर्यात वृद्धि और स्थिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; बाहरी क्षेत्र, भुगतान संतुलन (BoP), विदेशी मुद्रा भंडार, और विनिमय दर प्रबंधन।
- **प्रमुख अवधारणाएं:** भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमा, आयात कवर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), विनिर्माण पीएमआई, और आरबीआई की मौद्रिक नीति संचालन।

6. क्वाड विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

प्रमुख अंश और सारांश

- **मनीला मंत्रिस्तरीय बैठक:** चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड)—भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान—के विदेश मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत परिदृश्य की समीक्षा करने और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मनीला, फिलीपींस में बैठक की।
- **आसियान (ASEAN) केंद्रीयता की पुनः पुष्टि:** मंत्रियों ने आसियान एकता और केंद्रीयता में निहित "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत" (FOIP) के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई, और हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक (AOIP) के लिए समर्थन का संकल्प लिया।

- **नियम-आधारित व्यवस्था पर जोर:** इस समूह ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री क्षेत्र में शांति, स्थिरता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्षेत्रीय समृद्धि का आधार है।



- **सहयोग के मुख्य क्षेत्र:** चर्चाएं समुद्री और अंतर-राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और लचीलापन, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों, और मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR) पर केंद्रित थीं।
- **दबावकारी कार्रवाइयों का मुकाबला:** सदस्य देशों ने आक्रामक समुद्री कार्रवाइयों और आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए, बल या दबाव द्वारा यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध किया।
- **परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान:** काड सदस्यों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की और वैश्विक व्यापार स्थिरता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की।

आवश्यक परिभाषाएं

- **चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad):** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक रणनीतिक राजनयिक मंच, जो एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- **आसियान केंद्रीयता (ASEAN Centrality):** यह सिद्धांत कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) को क्षेत्रीय वास्तुकला और सुरक्षा सहयोग को आकार देने में प्राथमिक प्रेरक शक्ति, मंच और आधार बना रहना चाहिए।
- **हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक (AOIP):** खुलेपन, समावेशिता, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान पर जोर देते हुए क्षेत्रीय जुड़ाव को निर्देशित करने के लिए आसियान द्वारा अपनाया गया एक राजनयिक ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **अनक्लॉस/UNCLOS (1982):** समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) के भीतर समुद्री अधिकारों, नेविगेशन की स्वतंत्रता, उड़ानों और संप्रभु अधिकारों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है।
- **भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और 'सागर' (SAGAR) दृष्टिकोण:** 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (SAGAR) और 'इंडो-पैसिफिक ओशनस् इनिशिएटिव' (IPOI) द्वारा निर्देशित दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत के साथ जुड़ने का नीतिगत ढांचा।

निष्कर्ष

मनीला में काउ विदेश मंत्रियों की बैठक सुरक्षा-केंद्रित संवाद से क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने वाली एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में समूह के परिवर्तन को सुदृढ़ करती है। काउ पहलों को आसियान प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखकर, सदस्य देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सार्वजनिक सामान प्रदान करते हुए एकतरफा आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक निवारण को मजबूत करते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **प्रमुख विषय:** काउ ढांचा, आसियान-भारत संबंध, हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा, अनक्लॉस (UNCLOS) अनुपालन, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं।

7. भारत में ब्रॉड-स्पेक्ट्रम 'वॉच' एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग

प्रमुख अंश और सारांश

- **खपत में असंतुलन:** *द लैंसेट पब्लिक हेल्थ* में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में एंटीबायोटिक का उपयोग ब्रॉड-स्पेक्ट्रम 'वॉच' (Watch) समूह की दवाओं की ओर अत्यधिक झुका हुआ है, जिससे अनावश्यक जोखिम बढ़ता है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) को बढ़ावा मिलता है।
- **उपयोग बनाम आवश्यकता में विसंगति:** हालांकि भारत की अनुमानित आदर्श एंटीबायोटिक आवश्यकता प्रति 1,000 लोगों पर प्रति दिन 14.7 डिफाइंड डेली डोज (DID) है, लेकिन वास्तविक खपत 18.3 DID है।
- **'वॉच' समूह का दबदबा:** भारत में एंटीबायोटिक के उपयोग का केवल 27% हिस्सा 'एक्सेस' (Access) श्रेणी से आता है (जबकि अनुमानित आवश्यकता 52.3% है), जबकि कुल खपत में से 'वॉच' एंटीबायोटिक्स का हिस्सा 9.3 DID है।
- **अनुभवजन्य (एम्पेरिक) नुस्खे लिखना:** 20 तृतीयक देखभाल (टर्शरी केयर) अस्पतालों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 75% अस्पताल में भर्ती मरीजों को एंटीबायोटिक्स दी गईं, जिनमें से केवल 6% माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर पुष्टि पर आधारित थीं।
- **प्रोफिलैक्टिक (रोकथाम संबंधी) दुरुपयोग:** आधे से अधिक (55%) एंटीबायोटिक के नुस्खे सक्रिय संक्रमण के इलाज के बजाय केवल रोकथाम (प्रोफिलैक्सिस) के लिए थे, साथ ही डुप्लिकेट कवरेज और गैर-अनुशंसित फिक्स्ड-डोज संयोजनों जैसी समस्याएं भी पाई गईं।
- **'रिजर्व' दवाओं का कम उपयोग:** बहु-औषधि प्रतिरोधी (मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट) संक्रमणों का उच्च बोझ होने के बावजूद, 'रिजर्व' (Reserve) श्रेणी के एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम बना हुआ है (0.19 DID वास्तविक बनाम 0.99 DID अनुमानित आवश्यकता)।

What is antibiotic classification?

The World Health Organization (WHO) groups antibiotics into three categories:

■ **ACCESS:** First-choice antibiotics for common infections that have a lower risk of driving resistance.

■ **WATCH:** Broad-spectrum

antibiotics that should be used only for specific infections because they carry a higher risk of promoting antimicrobial resistance.

E.

■ **RESERVE:** Last-resort antibiotics reserved for treating multidrug-resistant infections.

आवश्यक परिभाषाएं

- **अवेयर (AWaRe) वर्गीकरण:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का एक ढांचा जो एंटीबायोटिक्स को एक्सेस (पहली पसंद, कम प्रतिरोध जोखिम), वॉच (ब्रॉड-स्पेक्ट्रम, उच्च प्रतिरोध जोखिम), और रिजर्व (बहु-औषधि प्रतिरोधी रोगजनकों के लिए अंतिम उपाय) श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR):** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ विकसित होते हैं, जिससे मानक रोगाणुरोधी दवाएं सामान्य संक्रमणों के खिलाफ अप्रभावी हो जाती हैं।
- **डिफाइंड डेली डोज (DID):** डब्ल्यूएचओ द्वारा परिभाषित माप की एक सांख्यिकीय इकाई जो प्रति 1,000 निवासियों पर अपने मुख्य उपयोग के लिए दी जाने वाली दवा की प्रति दिन मानी गई औसत रखरखाव खुराक को दर्शाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 47:** भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) प्राथमिक कर्तव्य के रूप में पोषण के स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य को बाध्य करता है।
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (अनुसूची H1):** स्पष्ट नुस्खे और रजिस्टर रखरखाव की आवश्यकता के साथ, तीसरी और चौथी पीढ़ी के एंटीबायोटिक्स की ओवर-द-काउंटर बिक्री के सख्त विनियमन का आदेश देता है।
- **एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR 2.0):** प्रतिरोध को रोकने के लिए 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के तहत मानव, पशु और पर्यावरणीय क्षेत्रों में बहु-क्षेत्रीय रणनीतियों का समन्वय करता है।

निष्कर्ष

'एक्सेस' दवाओं के बजाय 'वॉच' एंटीबायोटिक्स पर असंतुलित निर्भरता दवा प्रतिरोध को तेज करके भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। तर्कहीन दवा लिखने के पैटर्न पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निदान-आधारित प्रशासन को लागू करने, अस्पतालों में एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप को मजबूत करने और ओवर-द-काउंटर बिक्री पर नियामक निगरानी को कड़ा करने की आवश्यकता है।

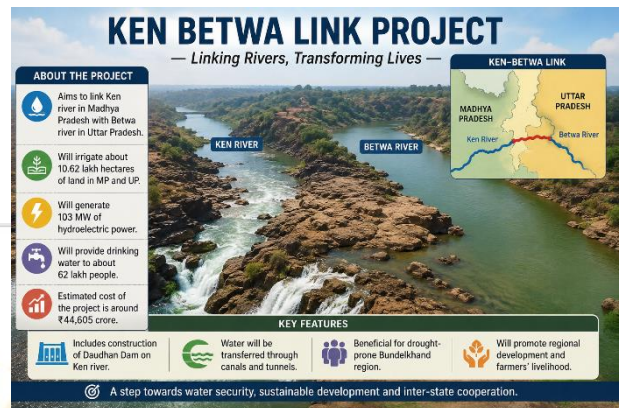
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II और III (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शासन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी):** सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, और स्वास्थ्य सुरक्षा।
- **प्रमुख विषय:** रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR), डब्ल्यूएचओ अवेयर (AWaRe) वर्गीकरण, अनुसूची H1 विनियमन, एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR), वन हेल्थ अवधारणा, और तर्कसंगत दवा उपयोग।

8. केन-बेतवा लिंक परियोजना: पुनर्वास की शिकायतों की जांच के आदेश

प्रमुख अंश और सारांश

- **जांच का आदेश:** मध्य प्रदेश सरकार ने ₹44,605 करोड़ की केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) के तहत मुआवजा, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में बढ़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली शिकायतों की आधिकारिक जांच की घोषणा की।
- **समयबद्ध समाधान:** राज्य विधानसभा में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विस्थापन और मुआवजे की सभी शिकायतों को "एक महीने के भीतर" हल करने की प्रतिबद्धता जताई।
- **व्यापक विस्थापन:** सरकारी रिकॉर्ड पुष्टि करते हैं कि पन्ना जिले के सात गांवों के 1,321 परिवार विस्थापन का सामना कर रहे हैं, जबकि छतरपुर जिले के 14 गांवों के 3,718 परिवार जलमग्नता या भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं।
- **छूटे नाम और पुनः सर्वेक्षण:** पात्र परिवारों के छूट जाने की शिकायतों के बाद, गांव-वार नई सर्वेक्षण टीमों ने पुनः सर्वेक्षण किया, जिससे केवल छतरपुर जिले में ही लाभार्थी सूची में 638 अतिरिक्त परिवार जुड़ गए।
- **राष्ट्रीय महत्व:** केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) भारत की पहली प्रमुख अंतर-बेसिन नदी-जोड़ो परियोजना है, जिसे मध्य प्रदेश में केन नदी के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी।
- **स्थानीय असंतोष:** दाऊधन, पलकुआ और सुकवाहा के ग्रामीणों ने असमान लाभ वितरण, अनुचित मुआवजा आकलन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण:** नहरों, सुरंगों और जलाशयों जैसी कृत्रिम संरचनाओं के माध्यम से जल-अधिशेष नदी बेसिन से जल-घाटे वाले बेसिन में सतही जल की आवाजाही।
- **जलमग्न क्षेत्र (Submergence Zone):** बांध या जलाशय के आसपास का वह भौगोलिक क्षेत्र जो जल भंडारण पर स्थायी या समय-समय पर जलमग्न हो जाता है, जिससे पुनर्वास की आवश्यकता होती है।
- **ग्राम सभा:** गांव के स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना एक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम, 2013:** भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है तथा सामाजिक प्रभाव आकलन और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का आदेश देता है।
- **अनुच्छेद 243G और पेसा (PESA) अधिनियम, 1996:** अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण, परामर्श प्रक्रिया और विस्थापित सामाजिक-आर्थिक समुदायों के पुनर्वास पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर मुख्य आवास (कोर हैबिटेट) के जलमग्न होने के कारण लागू होता है, जिसके लिए सख्त पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

यद्यपि केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में सूखे को कम करने के लिए रणनीतिक महत्व रखती है, इसके निष्पादन में सामाजिक न्याय के साथ बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों का संतुलन होना चाहिए। पारदर्शी पुनर्वास सर्वेक्षण, वैधानिक दिशानिर्देशों के तहत उचित मुआवजा और सार्थक ग्राम सभा परामर्श सुनिश्चित करना सामाजिक अशांति को रोकने तथा भविष्य की राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजनाओं के लिए एक टिकाऊ मिसाल कायम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II और III (शासन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था):** विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग—गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न हितधारकों की भूमिका; अवसंरचना: जल संसाधन; आपदा प्रबंधन, भूमि सुधार, और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)।
- **प्रमुख विषय:** राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP), केन-बेतवा इंटरलिंगेज, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013, पन्ना टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकी, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) चुनौतियां, और पेसा (PESA) के तहत आदिवासी अधिकार।

9. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं में रणनीतिक अनिवार्यता

प्रमुख अंश और सारांश

- **व्यावहारिकता पर रणनीति:** भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को रणनीतिक, अल्पकालिक आर्थिक लाभों के लिए समझौता करने के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिति, नीतिगत लचीलेपन और संस्थागत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **राजनीतिक घनिष्ठता की सीमाएं:** द्विपक्षीय व्यापार संबंध राजनीतिक सद्भावना से परे फैले हुए हैं, जिसके लिए व्यावहारिक नीति, आपसी पारस्परिकता और घरेलू आर्थिक प्राथमिकताओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।
- **पूर्ववर्ती (नज़ीर संबंधी) प्रभाव:** अमेरिका के साथ व्यापार सौदों में स्वीकार किए गए मानक वैश्विक मानदंड के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अगले दशक में इसके दीर्घकालिक प्रभाव के लिए प्रत्येक खंड का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **आंतरिक मानकों को मजबूत करना:** बाहरी व्यापार दबाव का केवल अनुपालन करने के बजाय राष्ट्रीय मूल्यों और आर्थिक अखंडता को बनाए रखने के लिए घरेलू नीति सुधारों के माध्यम से बंधुआ/जबरन श्रम जैसी समस्याओं को समाप्त किया जाना चाहिए।



- **तकनीकी और संप्रभु स्वायत्तता:** भविष्य की व्यापार शर्तों को अपने डेटा को नियंत्रित करने, डिजिटल व्यापार को नियंत्रित करने, उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने और खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत के संप्रभु अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।
- **लोकतांत्रिक स्वामित्व:** उच्च जोखिम वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते व्यापक टिकाऊपन और जनता का विश्वास तब हासिल करते हैं जब वे बाध्यकारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं बनने से पहले घरेलू जांच के अधीन होते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** किसी राज्य द्वारा विदेशी शक्तियों या अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों द्वारा बाध्य हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता।
- **जियोइकोनॉमिक्स (भू-अर्थशास्त्र):** भू-राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों—जैसे शुल्क (टैरिफ), प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण—का उपयोग।
- **डेटा संप्रभुता:** यह सिद्धांत कि किसी देश के भीतर उत्पन्न डिजिटल डेटा उस राष्ट्र के कानूनों और शासन ढांचे के अधीन होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 253:** संसद को अन्य देशों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 73:** संसदीय विधान के अधीन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संधि करने पर संघ की कार्यकारी शक्ति निर्धारित करता है।
- **विदेशी व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992:** घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात और निर्यात को नियंत्रित करते हुए विदेशी व्यापार नीति को तैयार और लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है।

निष्कर्ष

प्रमुख वैश्विक अर्थशास्त्रों के साथ व्यापार समझौतों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ खुले बाजार की पहुंच को संतुलित करने की आवश्यकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पकालिक आर्थिक वार्ताएं भविष्य के नीतिगत स्थान को सीमित न करें। डिजिटल शासन, तकनीकी स्वायत्तता और घरेलू श्रम मानकों की रक्षा यह सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II और III (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था):** भारत से शामिल द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; विदेशी व्यापार नीति, आईपीआर (IPR), और डेटा स्थानीयकरण।
- **प्रमुख विषय:** रणनीतिक स्वायत्तता, भू-अर्थशास्त्र (Goeconomics), भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार, डिजिटल व्यापार शासन, अनुच्छेद 253, और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन।

10. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) और भारत के विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव

प्रमुख अंश और सारांश

- **नियामक अड़चन:** विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) गैर-सरकारी शोध संस्थानों पर बोझिल अनुपालन आवश्यकताएं डालकर भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों पर प्रभाव:** गैर-लाभकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान (जैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और ATREE) सख्त एफसीआरए (FCRA) जांच के दायरे में आते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अनुदान सीमित हो जाते हैं।
- **वैश्विक सहयोग में बाधाएं:** एफसीआरए के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं को अप्रयुक्त शोध निधि वापस भेजने पर सख्ती से रोक लगाते हैं और भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करने से रोकते हैं जिनमें विदेशी भागीदारों को धन वितरित करने की आवश्यकता होती है।
- **सब-ग्रांटिंग (उप-अनुदान) पर रोक:** 2020 में पेश किए गए संशोधनों ने घरेलू गैर-सरकारी संगठनों के बीच विदेशी धन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे प्राथमिक अनुसंधान संस्थानों और जमीनी स्तर के संगठनों के बीच सहयोगात्मक मॉडल समाप्त हो गए।
- **प्रतिस्पर्धी अनुदानों पर संदेह:** सहकर्मी-समीक्षित (पीयर-रिव्यू किए गए), प्रतिस्पर्धी विदेशी शोध अनुदानों (वेलकम ट्रस्ट या एनआईएच जैसे निकायों से) के साथ अनियमित विदेशी राजनीतिक चंदे की तरह ही सख्त ढांचे के तहत व्यवहार किया जाता है।
- **अनुकूलित ढांचे की आवश्यकता:** विशेषज्ञ राज्य की निगरानी को बनाए रखते हुए वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को सक्षम करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) जैसे निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए एफसीआरए नियमों में संशोधन का समर्थन करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी अंशदान (फॉरेन कंट्रीब्यूशन):** किसी विदेशी स्रोत द्वारा किसी व्यक्ति या संघ को दी गई विदेशी मुद्रा, प्रतिभूतियों या वस्तुओं का कोई भी दान, डिलीवरी या हस्तांतरण।
- **सब-ग्रांटिंग (उप-अनुदान):** स्थानीय क्षेत्र अनुसंधान या सामाजिक परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए प्राथमिक प्राप्तकर्ता गैर-सरकारी संगठन से छोटे साझेदार संगठनों को विदेशी धन का पुनर्वितरण करने की प्रथा।
- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF):** भारतीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान की संस्कृति को पोषित करने के लिए बनाई गई एक वैधानिक संस्था।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं 2020 संशोधन:** विदेशी चंदे को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता से समझौता न करें, गृह मंत्रालय के दायरे में अधिनियमित।
- **संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** भाग IV-A (मौलिक कर्तव्य) प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का आदेश देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c):** संप्रभुता, अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में अनुच्छेद 19(4) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन, संघ या संगठन बनाने के अधिकार की गारंटी देता है।

निष्कर्ष

अवैध विदेशी प्रभाव से राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन एफसीआरए के तहत व्यापक नियामक प्रतिबंध अनजाने में वैज्ञानिक प्रगति में बाधा डालते हैं। जांचे-परखे शोध संस्थानों के लिए एक अलग नियामक मार्ग बनाने से भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान में एक वैश्विक शक्ति बनने के लक्ष्य के साथ सुरक्षा प्राथमिकताएं संरेखित होंगी।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II और III (शासन, सुरक्षा और विज्ञान/प्रौद्योगिकी):** विकास प्रक्रियाएं तथा गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और अनुसंधान निकायों की भूमिका; विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, और आरएंडडी (R&D) अवसंरचना।
- **प्रमुख विषय:** विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF), एनजीओ शासन, अनुच्छेद 19(1)(c), और वैज्ञानिक दृष्टिकोण।

11. केंद्र ने समलैंगिक जोड़ों के लिए कर छूट की मांग वाली याचिका का विरोध किया

प्रमुख अंश और सारांश

- **केंद्र का विरोध:** केंद्र सरकार ने सहवर्ती समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर उस याचिका का विरोध किया जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत "रिश्तेदार" (रिलेटिव) और "पति/पत्नी" (स्पाउस) की परिभाषा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी।
- **वर्गीकरण मानदंड:** अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत कर छूट लिंग या जेंडर के बजाय कानूनी रूप से सत्यापन योग्य वैवाहिक या प्रत्यक्ष पारिवारिक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है।

- **विवाद की उत्पत्ति:** यह याचिका तब उत्पन्न हुई जब एक व्यक्ति ने अपने साथी को ₹1,15,500 मूल्य का 22-कैरेट सोने का कंगन उपहार में दिया, जिसे "रिश्तेदार" के रूप में कानूनी मान्यता न होने के कारण कर योग्य "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में माना गया।
- **याचिकाकर्ताओं का तर्क:** याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि "रिश्तेदार" की परिभाषा से समलैंगिक साझेदारों को बाहर करने के परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष भेदभाव होता है, जिससे केवल लिंग और यौन रुझान के आधार पर उन्हें कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित किया जाता है।
- **कर चोरी और अनिश्चितता को रोकना:** सरकार ने अपना रुख बनाए रखा कि संसद ने कर चोरी और प्रशासनिक अस्पष्टता को रोकने के लिए केवल कानूनी रूप से सत्यापन योग्य संबंधों (विवाह या रक्त संबंध) तक ही छूट को सीमित रखा है।
- **उद्धृत मौलिक अधिकार:** याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(a), और 21 के उल्लंघन का दावा करते हुए तर्क दिया कि प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्तियों पर कर लगाना गैर-विषमलैंगिक (नॉन-हेटेरोनॉर्मेटिव) जोड़ों को अनुचित रूप से दंडित करता है।

'Tax terror and India's same-sex couples'



आवश्यक परिभाषाएं

- **आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x):** बिना किसी प्रतिफल के (या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए) ₹50,000 से अधिक की प्राप्त राशि या संपत्ति पर "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में कर लगाने का प्रावधान।
- **रिश्तेदार (कर कानून):** धारा 56 के तहत एक परिभाषित श्रेणी जिसमें पति/पत्नी, भाई-बहन, प्रत्यक्ष पूर्वज/वंशज और उनके जीवनसाथी शामिल हैं, जिनके आपसी उपहारों को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है।
- **अप्रत्यक्ष भेदभाव:** एक कानूनी सिद्धांत जहां कोई तटस्थ कानून या नियम स्पष्ट रूप से नाम लिए बिना व्यवहार में किसी विशिष्ट संरक्षित समूह को असमान रूप से प्रभावित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो बिना किसी बोधगम्य अंतरक (इंटेलेजेंट डिफरेंटिया) के मनमाने वर्गीकरण का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 15(1):** केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें निजता, गरिमा और व्यक्तिगत संबंधों का अधिकार शामिल है, जैसा कि नवतेज सिंह जौहर मामले में स्वीकार किया गया है।
- **आयकर अधिनियम, 1961:** भारत में प्रत्यक्ष करों को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा, जिसमें व्यक्तिगत छूट और कटौती के लिए विशिष्ट परिभाषाएं शामिल हैं।

निष्कर्ष

यह कानूनी चुनौती राजकोषीय कानूनों के तहत पारंपरिक वैधानिक परिभाषाओं और समलैंगिक संबंधों की उभरती सामाजिक-कानूनी मान्यताओं के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करती है। यह हल करना कि क्या कर छूट को गैर-

पारंपरिक भागीदारों तक बढ़ाया जाना चाहिए, गैर-भेदभाव और व्यक्तिगत गरिमा की संवैधानिक गारंटियों के खिलाफ कर प्रशासन की स्पष्टता को संतुलित करने की मांग करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, और 21); एलजीबीटीक्यूआईए+ (LGBTQIA+) अधिकारों और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे।
- **प्रमुख विषय:** आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x), कर छूट की संवैधानिक वैधता, नवतेज सिंह जौहर फैसला, कानूनों का समान संरक्षण, और अप्रत्यक्ष भेदभाव।

12. भारत डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय समझौतों (प्लुरिलैटरल पैक्ट्स) के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है

प्रमुख अंश और सारांश

- **बहुपक्षीय समझौतों का विरोध:** भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) में ई-कॉमर्स और निवेश सुविधा पर बहुपक्षीय समझौतों (प्लुरिलैटरल एग्रीमेंट्स) का दृढ़ता से विरोध करने वाली कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।
- **व्यापार नीति समीक्षा में जांच:** भारत की व्यापार नीति समीक्षा के दौरान, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन, कंबोडिया और गाम्बिया सहित प्रमुख विकसित और विकासशील सदस्यों ने नई दिल्ली के रुख पर सवाल उठाए, और तर्क दिया कि बहुपक्षीय समझौते बहुपक्षवाद (मल्टीलैटरलिज्म) को कमजोर करने के बजाय डब्ल्यूटीओ के नियमों का आधुनिकीकरण करते हैं।
- **सर्वसम्मति-आधारित शासन का संरक्षण:** भारत का मानना है कि प्लुरिलैटरल पैक्ट्स सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने के मूल डब्ल्यूटीओ जनादेश को दरकिनार करते हैं और विशेष हित समूहों के अनुकूल बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को खंडित करने का जोखिम उठाते हैं।
- **विकास के लिए निवेश सुविधा (IFD):** याउंटे में MC14 के दौरान आईएफडी (IFD) समझौते को अनुलग्नक 4 (Annex 4) बहुपक्षीय समझौते के रूप में शामिल करने के खिलाफ भारत एक प्राथमिक विरोधी के रूप में उभरा, और उसने कहा कि निवेश विनियमन डब्ल्यूटीओ के मूल व्यापार जनादेश से बाहर है।
- **ई-कॉमर्स अंतरिम सौदों को चुनौती:** भारत ने उस कानूनी आधार पर सवाल उठाया जिसके तहत 66 डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर अंतरिम व्यवस्था अपनाई, और तर्क दिया कि डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक को निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के रूप में सौंपना मानक मराकेश समझौते के प्रोटोकॉल को दरकिनार करता है।



- **अनुलग्नक 4 (Annex 4) सर्वसम्मति की आवश्यकता:** मराकेश समझौते के तहत, अनुलग्नक 4 में एक नया बहुपक्षीय व्यापार समझौता जोड़ने के लिए सभी 164 डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के बीच स्पष्ट, सर्वसम्मति सहमति की आवश्यकता होती है, जिस सीमा से झुकने से भारत इनकार करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **बहुपक्षीय व्यापार समझौते (प्लुरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स):** डब्ल्यूटीओ सदस्यों के एक उपसमूह (कुछ सदस्यों) के बीच बातचीत के तहत किए गए समझौते जो सभी सदस्यों पर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौतों के विपरीत, विशेष रूप से हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए बाध्यकारी अधिकार और दायित्व बनाते हैं।
- **विकास के लिए निवेश सुविधा (IFD):** 120 से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्तावित डब्ल्यूटीओ पहल जिसका उद्देश्य निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता में सुधार करना और टिकाऊ सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना है।
- **अनुलग्नक 4 / एनेक्स 4 (मराकेश समझौता):** बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए आरक्षित डब्ल्यूटीओ समझौते के ढांचे के भीतर कानूनी अनुसूची, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होने के लिए पूर्ण सदस्यता की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **डब्ल्यूटीओ की स्थापना करने वाला मराकेश समझौता (1994):** अनुच्छेद X:9 यह निर्देशित करता है कि सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों की स्पष्ट सर्वसम्मति पर ही अनुलग्नक 4 में बहुपक्षीय समझौते जोड़े जा सकते हैं।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253:** बाहरी जनादेशों के खिलाफ घरेलू नीति स्थान की रक्षा करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **विदेशी व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992:** भारत की विदेशी व्यापार नीतियों, आयात-निर्यात नियंत्रणों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों के अनुपालन को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संरचना प्रदान करता है।

निष्कर्ष

डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय समझौतों का भारत का सैद्धांतिक विरोध विकासशील देशों के लिए नीतिगत स्थान की सुरक्षा के साथ बहुपक्षवाद के अपने बचाव को संतुलित करता है। मराकेश समझौते के तहत सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने के कड़ाई से पालन पर जोर देकर, नई दिल्ली यह सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम समावेशी और न्यायसंगत बने रहें, जिससे ई-कॉमर्स और निवेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में घरेलू नियामक स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II और III (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था):** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच—उनकी संरचना, जनादेश और कार्यप्रणाली; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मुद्दे और व्यापार वार्ताएं।
- **प्रमुख विषय:** बहुपक्षीय (Plurilateral) बनाम बहुपक्षीय (Multilateral) व्यापार समझौते, मराकेश समझौता अनुलग्नक 4, विकास के लिए निवेश सुविधा (IFD), डब्ल्यूटीओ ई-कॉमर्स अधिस्थगन (मोरेटोरियम), और अनुच्छेद 253।

JULY 23, 2026

